संख्या-4/2024/ए-1-40/दस-2024-10-1099/276/2020

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ - दिनांक - 12 मार्च, 2024

विषय:- दिनांक 31 मार्च, 2024 को कोषागारों/एजेन्सी बैंक की शाखाओं को खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि दिनांक 31 मार्च, 2024 को रविवार होने के कारण साप्ताहिक अवकाश है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्ति की ओर है, जिसके कारण दिनांक 31 मार्च, 2024 को अत्यधिक लेन-देन होना स्वाभाविक है, इसलिये शासकीय कार्य करने वाली समस्त बैंक शाखाओं तथा कोषागारों को दिनांक 31 मार्च, 2024 को खोला जाना आवश्यक है।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोषागारों के साथ-साथ वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-2 के प्रस्तर-503 के अधीन ऐसे बैंकों की सभी शाखाएँ, जो सरकारी लेन-देन का कार्य करतीं हों, को खोले जाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-4/2024/ए-1-40 (1)/दस-2024-10-1099/276/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य क कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) अपर मुख्य सचिव/ सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
(2) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

- - 2 - -

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

(5) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त वर्णित तिथि को सभी कोषागारों को आवश्यक्तानुसार खोलने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत करें।

(6) सहायक महाप्रबन्धक, मुद्रा प्रबन्धक विभाग, केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, पोस्ट बाक्स संख्या-1379, मुम्बई-400023

(7) उपमहाप्रबन्धक, एकीकृत बैंकिंग विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, महात्मा गॉधी मार्ग, कानपुर-208001

(8) मुद्राधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई।

(9) मुख्य अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, मुम्बई।

(10) महाप्रबन्धक, भारतीय स्ट्रेट बैंक, सरकारी व्यवसाय विभाग, 8वॉ तल, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, लखनऊ।

आज्ञा से,
विवेक त्रिपाठी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।